

बजट (Budget)

- ❖ सरकार द्वारा आने वाले वित्त वर्ष की प्रत्याशीत आयों तथा व्ययों का एक वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। जिसे बजट कहा जाता है।
- ❖ बजट शब्द का भारतीय संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है।
- ❖ भारतीय संविधान के अनु. 112 में केन्द्र के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनु. 202 में राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है।

अन्तरीय बजट (Interior Budget) :- चुनाव वाले वर्ष आचार संहिता की समयाविधि में सरकार नई घोषणाएँ नहीं करती है। अतः वर्तमान वित्त मंत्री द्वारा केवल आचार संहिता की समयाविधि के लिए एक बजट पेश किया जाता है। जिसे अन्तरीय बजट कहते हैं।

अन्तरीय बजट, अन्तिम बजट में समायोजन योग्य होता है।

पूर्वक बजट (Supplementary Budget) :- कई बार बजट समयाविधि पूर्व समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा संसद में शेष समयाविधि हेतु अतिरिक्त बजट की मांग की जाती है। जिसे पुरक बजट कहते हैं। पुरक बजट समायोजन योग्य नहीं होता है।